प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25–05–2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहें व्यक्तियों के विरुद्व की गई कार्यवाही:–

अवगत कराना हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी को अपने–अपने क्षेत्रो में बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्व एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण एवं समस्त क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारियो द्वारा अपने–अपने नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाते हुये बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के चालान किये गये तथा भारी मात्रा में सम्मन शुल्क वसूल किया गया। जनपद पुलिस द्वारा की गई कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् हैं:–

नगर क्षेत्र/देहात क्षेत्र में की गई कार्यवाही का विवरण:–

- बिना मास्क के चालान:–168
- वसूला गया सम्मन शुल्क:–36400/–रुपये

नोट– जनपदवासियों से अपील की जाती है कि जब भी घर से निकलें मास्क का प्रयोग अवश्य करें अन्यथा उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

प्रेस नोट दिनांक 25.05.2021

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मौहल्ला निर्भयपुरम न्यू माधवनगर नुमाईश कैम्प क्षेत्र में हुई अज्ञात सनसनीखेज हत्या की घटना का पर्दाफाश करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (दुपट्टा) बरामदः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 07.05.21 को मौ0 निर्भयपुरम न्यू माधोनगर में हुई विक्रान्त उर्फ विक्की पुत्र श्रवण कुमार निवासी निर्भयपुरम न्यू माधोनगर कोतावली नगर जनपद सहारनपुर की हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 82/2021 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए विवेचना का शीघ्र अनावरण करते हुये अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली नगर पुलिस को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम में आज दिनांक 25-05-2021 को पुलिस अधीक्षक, नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उक्त घटना को अंजाम देने वाले **अभियुक्ता 1- मिनाक्षी उर्फ आरती व 2- अभियुक्त सचिन उपरोक्त को** बेहट अड्डे से समय करीब प्रात: 6.30 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पूछताछ में अभियुक्ता मिनाक्षी उर्फ आरती ने अपने देवर सचिन के साथ अवैध सम्बन्धो के कारण अपने पति विक्रान्त उर्फ विक्की की हत्या करना स्वीकार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही करते हुये जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1- मिनाक्षी उर्फ आरती पत्नी मृतक विक्रान्त उर्फ विक्की निवासी निर्भयपुरम न्यू माधव नगर कोतवाली नगर स0पुर (उम्र करीब 23 वर्ष)।

2- सचिन पुत्र श्री श्रवण कुमार निवासी निर्भयपुरम न्यू माधव नगर कोतवाली नगर स0पुर (उम्र करीब 29 वर्ष)।

बरामदगी का विवरणः-

1-एक अदद मोबाईल फ़ोन।

2-घटना में प्रयुक्त दुपट्टा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-प्र0नि0 श्री पंकज पन्त थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

2-व0उ0नि0 श्री विपिन त्यागी कोतवाली नगर, सहारनपुर।

3-उ0नि0 श्री रणपाल सिंह थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

4-उ0नि0 श्री अनवर खलील थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

5-उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

6-हे0का0 शाहनवाज थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

7-हे0का0 राजवीर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

8-का0 490 राहुल थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

9-का0 318 आकाश थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

10-म0का0 956 पायल त्यागी थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

<u>प्रेस नोट दिनांक 25.05.2021</u>

<u>थाना बिहारीगढ पुलिस पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः–</u>

दिनांक 24.05.2021 को थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा ग्राम कुरडीखेडा चांचक से अभियुक्त बबलू पुत्र फूलसिंह निवासी ग्राम कुरडी खेडा चांचक थाना बिहारीगढ, सहारनपुर को 46 पव्वे अवैध शराब यूपी मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 69/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

<u>थाना रामपुर मनिहारान पुलिस पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः–</u>

दिनांक 24.05.2021 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा ठेका अंग्रजी शराब मल्हीपुर से 02 अभियुक्त 1– धीरेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी विजयपुर थाना शिवालखास जिला इटावा 2–सुशांत जयसवाल पुत्र देरी प्रसाद निवासी न्यू शारदा नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर को 46 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब यूपी मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 158/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

<u>थाना मण्डी पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः–</u>

दिनांक 24.05.2021 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा निसार रोड से अभियुक्त अरशद पुत्र इरशाद निवासी नया बास चौक थाना मण्डी, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 269/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>थाना मण्डी पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः–</u>

दिनांक 24.05.2021 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा इन्द्रा चौक से अभियुक्त महताब पुत्र इनाम निवासी धोबी वाली गली नं0–12 थाना मण्डी, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 270/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया/सोशल मीड़िया सेल
सहारनपुर।